

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक:—एफ2(13)संस्था/रालोसेआ/14-15/

दिनांक:

:: प्रेस नोट ::

शासन के कार्मिक (क-2) विभाग की स्वीकृति क्रमांक : प.8(7)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 21.05.19 के अनुसरण में आयोग में निजी सचिव/अति. निजी सचिव/निजी सहायक/शीघ्र लिपिक के निम्नांकित रिक्त पदों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 164-ए तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में विहित प्रावधानानुसार समेकित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से संविदा आधार पर भरा जाना है —

- | | | |
|----|----------------|----|
| 1. | निजी सचिव | 02 |
| 2. | अति. निजी सचिव | 02 |
| 3. | निजी सहायक | 02 |
| 4. | शीघ्र लिपिक | 05 |

अतः राज्य सरकार से उक्त कैडर से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, जो राजकीय कार्य करने हेतु स्वस्थ है तथा संविदा आधार पर आयोग में कार्य करने के इच्छुक है, वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में (आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों सहित) दिनांक 03.07.19 को सायं. 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत करें।


नोट :- आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(के.के. शर्मा)
सचिव

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारूप

पद का नाम
(जिसके लिये आवेदन किया गया है)

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(रनिंग पे बैण्ड+ग्रेड-पे/पे मेट्रिक्स लेवल संख्या)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान :
(सेवानिवृत्ति के समय)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
(संलग्नानुसार)
12. मोबाईल नम्बर :
13. डाक का पूर्ण पता :



सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित
किये जाने के लिये वचन बंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 164-ए तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 4 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..... रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

2/11

12/2014⁸